राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जिला जोधपुर

राजस्व वाद संख्याः–81/2019
पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

वादीगणः–
1. विशनाराम पुत्र सेजाराम
2. मोहनलाल पुत्र सेजाराम
3. अर्जुनराम पुत्र सेजाराम सभी जातियान सुथार निवासीगण चैराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः–
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी
2. सरला पत्नि खिंवराज
3. खिंवराज पुत्र कन्हैयालाल जाति पालीवाल निवासी चैराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

उपस्थितिः–
1. श्री पेपसिंह भाटी वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी संख्या एक सरकारी पैराकार उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती बाबत।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–30.10.2019

वादीगण ने एक वाद इस आशय का पेश किया कि ग्राम रामनगर पटवार हल्का चैराई मे खसरा नम्बर 2738 रकबा 31.02 बीघा भूमि वादीगण के नाम की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख 2 व 3 की खोतेदारी की है तथा शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है वादी संख्या 1 दो नामों से जाना जाता है घरेलू बोलचाल का नाम किशनलाल है तथा बाहरी बोलचाल का नाम विशनाराम है दोनों नाम वादी संख 1 के ही है दो नामों का अलग अलग व्यक्ति नहीं है। राजस्व रेकर्ड ग्राम रामनगर की जमाबंदी में बोलचाल कानाम किशनलाल पि. सेजाराम दर्ज करदिया गा है जो गलत है। इसलिये ग्राम रामनगर के राजस्व रेकर्ड ... संख्या एक का ... नाम किश्ज्ञनलाल के स्थानपर सही नाम सरकारी ... अनुसार विशनाराम ... कर खातेदारी घोषित करवाने के लिए ... गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

शनकार्ड,आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड अन्य सही नाम के दस्तावेजों की प्रतियां साथ श है।

वाद पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे गये। लेकिन आदेशिका दिनांक 30.10.2019 अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित रहे न्यायालय समय में तीन रूक रूक कर आवाजे लगाई गई, लेकिन प्रतिवादी संख्या दो व तीन की और से असालतन या वकालतन कोई उपस्थित नहीं आये, अतः प्रतिवादी संख्या दो व तीन के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या एक तहसीलदार तिंवरी इकबालिया जवाब पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार तिंवरी ने अपने जवाब में बताया गया कि राजस्व ग्राम रामनगर की जमाबंदी चौसाला संवत 2073–2076 के खाता संख्या 259 खसरा नम्बर 2738 रकबा 31.02 बीघा भूमि में संयुक्त खातेदारी मे वादी का नाम किशनलाल पि. सेजाराम दर्ज है। प्रार्थी/वादी के आधार कार्ड, वोटर आई डी राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड मे सही नाम विशनाराम पित्र सेजाराम दर्ज है। राजस्व रेकर्ड चालु जमाबंदी व अन्य स्वये के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड में दर्ज नाम में अन्तर है। अतः वादी/प्रार्थी कानाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में किशनलाल पि. सेजाराम के स्थान पर विशनाराम पि. सेजाराम शुद्ध किया जाना उचित है।

उभय पक्ष बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 2738 रकबा 31.02 बीघा में किशनाराम पि. सेजाराम संयुक्त खातेदारी में नाम दर्ज है, जो गलत है, सही नाम विशनाराम पि.सेजाराम किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी/वादी का वादपत्र युक्तियुक्त आधारों पर आधारित होने से सरकारी पैरोकार के इकबालिया जबाब से वादपत्र को बल मिलता है, वादीगण का वादपत्र का खण्डन नहीं किया गया है, मैंने पक्षकारान की बहस व पत्रावली का अध्ययन कर मनन किया, वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य समझता हूँ। अतः ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 2738 रकबा 31.02 बीघा संयुक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या एक का नाम किशनाराम पि. सेजाराम के स्थान विशनाराम पि. सेजाराम किये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार, तिंवरी को आदेशित किया जाता है कि वादी विशनाराम पि. सेजाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड शुद्धिकरण किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:08 IST
Reason: SelfAttested

...यक कलक्टर एवं
...आसियां